राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/ न्याय/2018/ 5953 दिनांक: 30.08.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /18/27495–96 दिनांक 27.08.18 से पुलिस थाना घाटोली के अभियोग सं0 134/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामनारायण पुत्र गणेश लाल जाति तंवर उम्र 26 साल निवासी काल्याखेडी थाना रटलाई जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2018 को श्री संजय कुमार थानाधिकारी मय जाप्ता कोहडीझर तिराहे पर पहुंचे तो दौराने नाकाबंदी एक व्यक्ति कोहडीझर की तरफ से मोटर साईकिल से आया, जिसे रोकने का ईशारा किए जाने पर उसने मोटर साईकिल को रोड की दायी तरफ बरडी मे उतारकर भागने का प्रयास किया। जिसके कंधे पर एक टोपीदार बदूंक टंगी हुई थी, को थानाधिकारी ने जाप्ते की मदद से पकडा हथियार टोपीदार बदूंको को कब्जे मे लेकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामनारायण पुत्र गणेशलाल जाति तंवर उम्र 26 साल निवासी काल्याखेडी थाना रटलाई जिला झालावाड का होना बताया। अभियुक्त से टोपीदार बदूंक अपने कब्जे मे रखने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो उसने नही होना बताया। इस पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाना पर प्रकरण सं0 134/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया एंव बयान फरियादियान एंव गवाहान के कथन लेखबद्ध किये । अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा बदूंक एक टोपीदार का आर्मोरर पुलिस लाईन से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो जब्तशुदा टोपीदार बदूंक फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आना बताया गया। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत एचसी 921 व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड टोपीदार बदूंक को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त रामनारायण पुत्र गणेशलाल जाति तंवर उम्र 26 साल निवासी काल्याखेडी थाना रटलाई जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड